छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 70/2006

1. **श्री एम0जी0 गुप्ता,** – *अपीलार्थी*
लेखापाल, निवासी वर्धमान नगर,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** – ***प्रति अपीलार्थी***
कार्यालय प्रमुख चिकित्सा सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 11 जनवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपील में पूर्व में दिनांक 31.07.2006 को निर्देश दिये गये थे कि यदि और कोई जानकारी आवेदक चाहे तो उसे निःशुल्क प्रदान किया जावे, किन्तु इस आदेश का पूर्ण पालन नही होने के कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.01.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर जुर्माना एवं क्षतिपूर्ति की माँग की गई है ।

2/ प्रति अपीलार्थी द्वारा जानकारी नही देने एवं पालन प्रतिवेदन आयोग को नही भेजने के कारण बीस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जन सूचना अधिकारी को जारी किया गया, जिसका उत्तर प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा उत्तर में सिविल सर्जन, सी0एम0ओ0 एवं कय लिपिक को पत्र भेजना बताकर विलंब के लिए उनकी जिम्मेदारी बताई गई है, इन तीनों को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया । अपने उत्तर में सिविल सर्जन एवं सी0एम0ओ0 द्वारा भण्डार कय लिपिक श्री जे0एल0 साहू को उन्होंने कई पत्र लिखना तथा उनसे जानकारी नही मिलना और उनके विरूद्ध विभागीय जांच भी प्रारंभ करना बताया गया है । अतः श्री जे0एल0 साहू को बीस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, उन्होंने दिनांक 29.11.2007 को उक्त नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात् उभय पक्ष की सुनवाई की गई । इस संबंध में चूंकि अधिकारियों ने कय लिपिक को कई पत्र लिखे और इनके विरूद्ध विभागीय जांच भी जारी की, इसलिए अधिकारियों की त्रुटि प्रतीत नही होती है, अतः उन्हें जारी किया गया गया सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । श्री साहू, भण्डार कय लिपिक ने अपने उत्तर में यह बताया है कि माँगे गये पत्र के अनुसार पूरी जानकारी उन्होंने दे

दी थी तथा 1637 पृष्ट की जानकारी नि:शुल्क प्रदान की गई है, उन्होंने उत्तर में यह भी बताया है कि वे एक छोटे कर्मचारी एवं सहायक है और सूचना नही देने के लिए सिविल सर्जन दोषी है और प्रति अपीलार्थी द्वारा मेरे विरूद्ध झूठी एवं असत्य जानकारी विद्वेष एवं पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर दी गई है तथा शिकायतकर्ता पूर्व में मेरी जगह क्रय लिपिक रहा है इसलिए विद्वेषवश शिकायत करता है । चूंकि आवेदक ने बहुत ही विस्तृत जानकारी माँगी थी और यह संभव है कि जानकारी एकत्रित करने में समय लगा हो तथा उनके द्वारा जानकारी दी जा चुकी है और श्री साहू के विरूद्ध विभागीय जांच की जा रही है, वह अपने स्थान पर पर्याप्त है और किसी प्रकार की शास्ति की कार्यवाही आवश्यक नही है, अत: श्री साहू के विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । चूंकि वर्तमान प्रकरण में अधिकांश जानकारी दी जा चुकी है और यदि अभी-भी कोई जानकारी लेना शेष है तो उसका नि:शुल्क निरीक्षण अपीलार्थी को करा दिया जावे । प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को राशि 500/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के के साथ उक्त अपील का अंतिम निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त